२८.२
6.9.2
13.12.2

2022/237

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ ☏ 230289

ता. पेशी   स्टेज साक्ष्यवादी

4/7/2

[redacted]

जनरल रूल्स सि[redacted] नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड [redacted]लवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला क्रमांक 5
183 R.T.A	26/2022	5.5.2022	निर्णय 04/1/24	28/2/2023 सा.वादी

अनवान

श्री कमलेश पुत्र कन्हैयालाल धाकड़ श्री ~~...राज पिता मोहनसिंह राव~~

निवासी जापदा निवासी ~~बिजौलियां~~

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

ओम प्रकाश शर्मा

डिक्रीदार

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

Ex Party

रेस्पाडेन्ट / मदयूनाल

श्री .... श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

कमलेश बनाम भैराज

किस्म मुकदमा 183 नम्बर 26 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.5.2022	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 21/6/2022 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
21/6/22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/8/22 को वास्ते तलबी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
2/8/22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2 के बाद समन तामिल प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। गैर हाजिर अतः प्रतिवादी सं. 1, 2 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते है। वकीलवादी प्रतिवादी सं. 3 के पुनः समन प्रोसेस प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते तलबी दि. 6.9.22 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	
7/9/22	पत्रावली दि. 6/9/22 को पेशी दी गई थी किंतु जिलाधीश महोदय द्वारा दि. 6/9/22 को जिले में अवकाश घोषित किये जाने से आज न्यायालय मे पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते अन्तिम कार्यवाही हेतु पेशी दि. 18/10/22 को पेश हो।	

APP- A
Crim-5

..10.22	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी व सरकार परिकार उप.। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दि. 13.12.22 को पेश हो।
	उप खण्ड अ[illegible]री बिजौलियाँ जि... [illegible]लवाड़ा
उपास्थित ... 18.10.22	
13/12/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/[illegible] उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। [illegible] दिनांक24.1.23.....को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी
24.1.23	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप.। साक्ष्य हेतु अवसर चाहा गया जो दिया जाता है पत्रावली वास्ते दि. 28.2.23 को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
28/2/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 28/3/23 को वास्ते साक्ष्यवादी पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी
28/3/23	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप.। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 3/5/23 को पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
3/5/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 7/6/23 को वास्ते सा.वादी पेश हो।
	उप खण्ड अधिकारी
7/6/23	पत्रावली पेश हुई। वादी सं. 1 कमलेश कुमार के बयान लेखबद्ध हुये वादी और कोई गवाह पेश नहीं करना चाहता है प्रतिवादी गण 1 व 2 के विरुद्ध पूर्व मे ही एकपक्षीय आदेश पारित हो चुके है
	उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

APP- A
Crim-5

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

कमलेश/कन्हैयालाल बनाम देवराज / मोहनसिंह

किस्म मुकदमा 183 RTA नं. 26/2022 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली वास्ते "बहस" दिनांक 04/07/2023 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	
04/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित, अधिवक्ता वादी की एक-पक्षीय बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 06/07/2023 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	
6/7/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 12/12/23 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
12/12/23	पत्रावली पंश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 2/1/24 को वास्ते निर्णय पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
02/01/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा	

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 26 / 2022 दायर तारीख 05.05.2022

अनवान्

1. कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. मनीष पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. यमुनाशंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. शांति पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.........वादीगण

बनाम्

1. देवराज पिता मोहनसिंह जाति राव उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. कमलेश पिता नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश शर्मा– अधिवक्ता वादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ भीलवाड़ा

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांकः– 02/01/2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** में अन्तर्गत आदेश 7 नियम 1–3 जा0 दी0 में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की अधिकार, आधिपत्य एवं खातेदारी वाली कृर्षि भूमि ग्राम केसुविलास पटवार क्षैत्र जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा में आराजी नंबर 405/307 रकबा 5 बीघा कृर्षि भूमि वादीगण के दर्ज रेकॉर्ड होकर स्थित हैं। खातेदारी हक व अधिकार में है एवं स्वामित्व वादीगण का ही है और लगान भी वादी राज्य सरकार में जमा कराते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1–2 का उक्त आराजियात पर किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नही होते हुए भी हम वादीगण की आराजी नम्बर 405/307 रकबा 5 बीघा भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया हैं उक्त बात की जानकारी हम वादीगण द्वारा पटवार हल्का जावदा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके की पत्थरगढ़ी दिनांक 01.04.2022 को करवाई तब पता लगा। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1–2 को अंतिम बार 05.04.2022 को उक्त आराजीयात से कब्जा हटाने बाबत कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1–2 कब्जा हटाने को तैयार नहीं हुये इसलिए बिनायवाद उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

वादी ने अनुतोष चाहा कि ग्राम केसुविलास पटवार क्षैत्र जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा में आराजी नंबर 405/307 रकबा 5 बीघा जिस पर प्रतिवादी संख्या 1–2 ने अवैध कब्जा कर लिया है, उक्त अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1–2 प्रदान जावें। वादीगण को दावा दायरी से कब्जा सिपुर्दगी तक का मुआवजा 50 गुना की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1–2 प्रदान की जावें। वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा वादीगण को सिपूर्द किये जाने के बाद प्रतिवादी संख्या 1–2 वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करें। वादीगण को बेदखल नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करे न ही किसी अन्य से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 1–2बावजूद तामील हाजिर नहीं हुये बेरोज पेशी पर प्रतिवादी संख्या 1–2 को बार बार आवाज दिलायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1–2 गैर हाजिर होने से प्रतिवादी संख्या 1–2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वकील वादी ने नकल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 पेश की है जो प्रदर्श– 2 हैं, एवं पत्थरगढी मौका पर्चा दिनांक 01.04.2022 पेश किया जो प्रदर्श– 1 हैं।

प्रकरण में वादी अधिवक्ता ने साक्ष्यवादी में स्वयं पी. डल्व्यू – 1 कमलेश कुमार पिता कन्हैयालाल धाकड़ निवासी जावदा के सशपथ बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं। वादी अधिवक्ता ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

पी. डल्व्यू – 1 कमलेश कुमार पिता कन्हैयालाल धाकड़ निवासी जावदा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नंबर 405/307 रकबा 5 बीघा भूमि हमारे संयुक्त खातेदारी की है जिस पर प्रतिवादी संख्या 1–2 ने जबरन अवैध कब्जा कर लिया है, उक्त अवैध कब्जे को हटाया जाकर वादीगण को सिपूर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1–2 प्रदान की जावें। तथा प्रतिवादी संख्या 1–2 वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करनें। वादीगण को बेदखल नहीं करनें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करावें।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं उनकी तरफ से कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नही होने से शहादत प्रतिवादी बन्द की जाकर प्रकरण बहस में रखा गया। प्रतिवादी संख्या 03 को भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध वादीगण ने किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्तावादी ने बहस में अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया हैं। जमीन पर वादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा की फोटो प्रति व भूमि वादीगण के स्वामित्व की होने के सम्बन्ध में अपने खाते की जमाबन्दी प्रस्तुत की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली में वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में मौजा ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नंबर 405/307 रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रतिवादीगण देवराज पिता मोहनसिंहराव निवासी बिजौलियां एवं कमलेश पिता नोलाधाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)का अवैध कब्जा होने से उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का कब्जा हटाया जाकर वादीगण को पुनः कब्जा सिर्पुद किये जाने की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीसंख्या 1 व 2 के विरूद्ध चाही हैं। जो उचित होकर प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य हैं।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** डिक्री किया जाता हैं।

<u>–: आदेश :–</u>

वादपत्र वादीगण अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 व 2डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नंबर 405/307 रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 देवराज पिता मोहनसिंहराव निवासी बिजौलियां एवं प्रतिवादी संख्या 2 कमलेश पिता नोलाधाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)का अवैध कब्जा होने से उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें।प्रतिवादी संख्या 1–2 वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करें। वादीगण को बेदखल नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार ड़िक्री मुर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक02/01/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड़ अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियांजिला भीलवाडा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 26/2022 दायर तारीख 05.05.2022

अनवान्

1. कमलेश पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. मनीष पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. यमुनाशंकर पुत्र कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. शांति पत्नि कन्हैयालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी जावदा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादीगण

बनाम्

1. देवराज पिता मोहनसिंह जाति राव उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. कमलेश पिता नोला जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक / /2024
डिक्री दिनांक / /2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री ओमप्रकाश शर्मा अधिवक्ता वादी उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम केसुविलास पटवार हल्का जावदा स्थित आराजी नंबर 405/307 रकबा 5 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 देवराज पिता मोहनसिंहराव निवासी बिजौलियां एवं प्रतिवादी संख्या 2 कमलेश पिता नोलाधाकड़ निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)का अवैध कब्जा होने से उक्त भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें।प्रतिवादी संख्या 1–2 वादग्रस्त आराजीयात पर पुनः अवैध कब्जा अतिक्रमण नहीं करें। वादीगण को बेदखल नहीं करे। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नहीं करें। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil .... ..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख माह वर्ष 2024 को जारी की गयी।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा